रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.–33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 4, 2012/आश्विन 12, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 154
No. 166] DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2012/ASVINA 12, 1934 [N.C.T.D. No. 154

भाग–IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2012

फा. सं. 42(13)/ओ.एस.डी./डी.एस.डब्ल्यू./डी.डी.डब्ल्यू.डब्ल्यू./2001-02/खंड-I/19963-989.—दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड के नियम की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड की अधिसूचना नं. 42(13)/ओ.एस.डी./डी.एस.डब्ल्यू./डी.डी.डब्ल्यू.डब्ल्यू./2001-02/खंड-I/22499-528 दिनांक 4 जनवरी, 2011 के क्रमांक 11 पर एक सदस्य के नाम का समावेश इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से करती है ।

(1) सुश्री पलका ग्रोवर 194,
जोर बाग, नई दिल्ली-110003 —सदस्य

उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल, बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों सहित जो कि अधिसूचना नं. 42(13)/ओ.एस.डी./डी.एस.डब्ल्यू./डी.डी.डब्ल्यू.डब्ल्यू./2001-02/खंड-I/22499-528 दिनांक 4 जनवरी, 2011 में मनोनीत किये गये थे, के साथ समाप्त होगा । इस बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 3 जनवरी, 2014 को समाप्त होगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव काले, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th October, 2012

F. No. 42(13)/OSD/DSW/DDWW/2001-02/Pt.-I/19963-989.—In exercise of the Power Conferred by clause 3 of Rules of Delhi Social Welfare Board, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby includes the following persons, as Member of the Delhi Social Welfare Board at item No. 11 of the Notification No. 42(13)/OSD/DSW/DDWW/2001-02/Pt.-I/22499-528 dated 4-1-2011 w.e.f. the date of publication of the Notification.

1. Ms. Palka Grover R/o. 194,
Jor Bagh, New Delhi-110003 —Member

The tenure of the above member shall be co-terminous with the tenure of the Chairperson and other members appointed vide Notification No. 42(13)/OSD/DSW/DDWW/2001-02/Pt.-I/22499-528 dated 4-1-2011 and shall expire on 03-01-2014.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

RAJIV KALE, Director

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2012

फा. सं. 14 (7)/एलए-2012/ConsLaw/162.—उप-राज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 21 सितम्बर, 2012 को मिली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम को जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

"दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012
(2012 का दिल्ली अधिनियम 13)

(6 सितम्बर, 2012 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[21 सितम्बर, 2012]

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1 **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** — (1) इस अधिनियम को दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2 **धारा 22 का संशोधन** — (1) इस अधिनियम को दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का दिल्ली अधिनियम 6) इसके बाद 'मूल अधिनियम' के रूप में सन्दर्भित, की धारा 22 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित व्यक्ति होगें :–

(क) सभापति, कुलाधिपति द्वारा नामांकित किए जाने वाला प्रसिद्व शिक्षाविद् या कोई प्रसिद्व अभियन्ता/शिल्प विज्ञानी (टेकनोलॉजिस्ट) या प्रसिद्व उद्योगपति होगा।

(ख) विश्वविद्यालय का कुलपति।

(ग) सरकार द्वारा नामांकित विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्धन विषयों के तीन प्रसिद्व व्यक्ति।

(घ) सरकार द्वारा नामांकित विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक।

(ड़) सरकार नामांकित विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष।

(च) सरकार द्वारा नामांकित किसी उद्योग एसोसिएश्न का कोई प्रतिनिधि।

(छ) प्रधान सचिव या सचिव (वित्त), दिल्ली सरकार – पदेन ;

(ज) प्रधान सचिव या सचिव (उच्च शिक्षा) दिल्ली सरकार – पदेन ;

(झ) प्रधान सचिव या सचिव (तकनीकी शिक्षा), दिल्ली सरकार – पदेन ;

(ञ) परिनियमों द्वारा यथा निर्धारित ऐसा/ऐसे अन्य सदस्य या सदस्य"

3 **नई धारा 53 का सन्निवेश** – मूल अधिनियम की धारा 52 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्

"53 कुलाधिपति, स्वत; या प्रबन्धमण्डल की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रबन्ध, वित्तीय या शैक्षिक प्रणाली के हित में तथा विशेषत विश्वविद्यालय की शन्ति एवं सुखशान्ति सुनिश्चित करने हेतु तथा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये यथावश्यक या समयोचित ऐसे निदेश जारी कर सकते है ।"

तरून सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 4th October, 2012

F. No. 14 (7)/LA-2012/ConsLaw/162.—The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor on the 21st September, 2012 and is hereby published for general information :—

"THE DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2012 (DELHI ACT 13 OF 2012)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 06th September, 2012).

[21st September, 2012]

An Act to further amend the Delhi Technological University Act, 2009

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third Year of Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.– (1) This Act may be called the Delhi Technological University (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment in section 22.– In the Delhi Technological University Act, 2009 (Delhi Act 6 of 2009), hereinafter referred to as the "principal Act", for sub-section (2) of section 22, the following shall be substituted, namely :-

"(2) The Board of Management shall consist of the following persons:-

(a) Chairperson shall be eminent educationist or an eminent scientist or eminent engineer / technologist or eminent industrialist to be nominated by the Chancellor.

(b) The Vice Chancellor of the University.

(c) Three eminent persons in the disciplines of science, engineering, technology and management, nominated by the Government

(d) Two Professors of the University nominated by the Government.

(e) Two Deans of the University nominated by the Government

(f) A representative of an Industry Association, nominated by the Government

(g) Principal Secretary or Secretary (Finance) to the Government ex-officio;

(h) Principal Secretary or Secretary (Higher Education) to the Government ex-officio;

(i) Principal Secretary or Secretary (Technical Education) to the Government ex-officio;

(j) Such other member or members as may be prescribed by the Statutes."

3. Insertion of new section 53- In the principal Act, after the section 52, the following section shall be added, namely:-

"**53. Power to issue directions.** - The Chancellor may either suo moto or on the recommendation of the Board of Management may issue such directions as may be necessary or expedient in the interest of administration, financial or academic functioning of the University and in particular to ensure peace and tranquility in the University and to protect the property of the University."

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2012

फा. सं. 5 (54)/नीति-II/वैट/2011-12/726-738.—जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुरूप, नई दिल्ली में गेबोन गणराज्य के दूतावास की सरकारी खरीद एवं इसके राजनयिकों के द्वारा निजी खरीद के पक्ष में, वैट रिफंड की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से पत्र संख्या डी-II/451/12(3)/2012 दिनांक 3-8-2012 के द्वारा, अनुरोध किया गया है ।

और जबकि मै राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, यह मानता हूं कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है।

अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 103 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करता हूं अर्थात्:–

संशोधन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की छठी अनुसूची में, भाग–क में क्रम संख्या 1 पर प्रविष्टि में, क्रम संख्या (32ए) के उपरांत नई उप–प्रविष्टि निम्नलिखित की जाएगी, अर्थात् :–

"(32बी) गेबोन गणराज्य
नई दिल्ली स्थित गेबोन गणराज्य के दूतावास की सरकारी खरीद और इसके राजनयिकों के द्वारा निजी खरीद के लिए मूल्य संवर्धित कर की छूट/वापसी" ।

रिफंड के लिए योग्य न्यूनतम इन्वाइस मूल्य 1500/–रूपये होगा" ।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 4th October, 2012

F. No. 5(54)/Policy-II/VAT/2011-12/726-738.—Whereas the Ministry of External Affairs, Government of India in accordance with the principle of reciprocity have requested the Government of National Capital Territory of Delhi to grant facilities for exemption/refund of VAT in respect of official purchases of Embassy of the Republic of Gabon in New Delhi vide their letter No. D-II/451/12(3)/2012 dated 3-8-2012.

And whereas, I Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, am of the opinion that it is expedient in the public interest to do so.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), I hereby make the following amendments in the sixth schedule of the said Act, with immediate effect, namely:

AMENDMENTS

In the Sixth Schedule of the Delhi Value Added Tax Act, 2004- (Delhi Act 03 of 2005), in the entry at Sl. No. 1 in part-A, new sub-entry below Sl. no. (32A) shall be inserted, namely:-

"(32B) for official purchases of Embassy of the Republic of Gabon in New Delhi."

Minimum Invoice value eligible for refund shall be Rs.1500/-."

RAJENDRA KUMAR, Commissioner, Value Added Tax

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.